

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर  
पत्रांक 5702 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, जून, 22 / 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

विषय : जनपद-गोरखपुर में सोनौली-गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0-29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोहददीपुर चौराहा) तक भाग को 04 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 08बी/यू0पी0/06/25/2019/एफ0सी0/36 दिनांक 10.04.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1951/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/36788/2018 दिनांक 12.04.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक पत्रांक 5600/2-6 दिनांक 17.06.2019 एवं कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0), लो0नि0वि0, गोरखपुर 694/1सी दिनांक 21.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 08बी/यू0पी0/06/25/2019/ एफ0सी0/36 दिनांक 10.04.2019 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में दो बिन्दुओं पर आपत्ति की गयी है।, कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0), लो0नि0वि0, गोरखपुर 694/1सी दिनांक 21.06.2019 द्वारा प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् करते हुए पांच प्रतियां अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है :-

बिन्दु संख्या	आपत्तियां	निराकरण
1	As per DSS-analysis the area of proposed land to be diverted is only 0.14 ha. Which is less than the area mentioned in the proposal. This needs rectification.	डी.एस.एस. परीक्षण में पायी गयी प्रस्तावित 0.14 हे0 को संशोधित करते हुए प्रस्तावित क्षेत्रफल के अनुसार 0.19384 हे0 कर आनलाइन कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	No. of plants /hectare proposed in CA must not be less than 1000 plants/hectare. The CA proposed is only for 108 plants which needs rectification.	दिये गये निर्देशानुसार 1000 पौध प्रति हेक्टेयर के दर से प्रस्तावित 0.19384 की दूनी अर्थात 0.38678 हे0 क्षेत्रफल में 388 पौधों का रोपण प्रस्तावित किया गया है। संशोधित प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)

अतः प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में सूचना एवं प्रमाण-पत्र की चार-चार प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि तीन-तीन प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(अखिलेश पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर